


वा. सं. 216/18 बेजारतु / भगारतु

सेवामें.

प्राथि आवूलाल की ओर से वकील की  
आलाशद गेदाराने प्राथिना फा 01/10 का  
प्राथिना फा हीखदी के रूप में पदाकार  
अपने हेतु पेश किया जो ब्यापिल मिसल  
हो पत्रावली काइया वाले प्राथिना फा  
जवाब हेतु दि. 12/11/19 का पडाहो

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

12/11/19

पत्रावली पेश हुई

वादी एवं उनके वकील में से कोई उपन्ही।

काज अदालत समय में सल-सल कर तीन

बार आवजे दिलवाये जाने के बाद

वादी एवं उनके वकील में किसी के उप


वहीं हमें पर आवेदन अन्तर्गत आदेश 9

नियम 2 व आदेश 3 नियम 3 CPC के

तहत अदल पालना एवं अदल हाजरी में

स्पर्श किया जाता है।

पत्रावली केसल सुमार होकर वापिस दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

